इस आदेश के अवलोकनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट

www.delhijalboard.nic.in

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1442 / 2015 / 13327 दिनांकः 27.11.2015 30

श्रीमती शकुन्तला रूहेल,
आर0जैड0–79–डी–22, राज नगर– ।।,
पालम कालोनी,
दिल्ली–110077.

उप निदेशक (राजस्व)द0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती शकुन्तला रूहेल, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 02–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 27.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती शकुन्तला रूहेल, उपस्थित नहीं हुई एवं श्री ओमकार शर्मा, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)– ।, वसन्त कुंज जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 06.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 02.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर नहीं दिया है । सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की भली प्रकार जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के दो दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए ।

जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में आर0टी0आई0 एक्ट के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रकिया का अनुपालन करते हुए 30 दिन के अन्दर अपीलकर्ता को सूचना अवश्य प्रदान करें ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

EXECUTIVE ENGINEER
Dy. No. 6102
Date 1/12/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमती शकुन्तला रूहेल, आर0जैड0–79–डी–22, राज नगर– ।।, पालम कालोनी, दिल्ली–110077.
2. उप निदेशक (राजस्व) द0 / द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)– ।।, वसन्त कुंज ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।